...ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न... अहलका... की
3/4/18	वकील वादी उप० / बहस वकील वादी सुनी गई / पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 12-4-18 को पेश हो [signature] उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	
12/4/18	वकील वादी उप० / वादी का दावा अंतिम डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया / पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो [signature] उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)	

मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. प्रभू लाल पुत्र जयकिशन,
2. रमेश पुत्र जयकिशन,
3. मनोहर पुत्र जयकिशन एवं
4. गोपाल पुत्र जयकिशन,

सभी जाति गुर्जर निवासी रिवाली, तहसील बामनवास, वादीगण

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास प्रतिवादी

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी,
इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 8/2018

वादीगण स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं । इस वाद में आज दिनांक 12/4/2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि वादीगण का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 190, 191 ग्राम रिवाली तहसील बामनवास में से चिरंजी, महादेव व घनश्याम के संपूर्ण हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उक्त वर्णित आराजियात् के संदर्भ में पूर्व खातेदार विक्रेतागण चिरंजी, महादेव व घनश्याम के पिता का नाम विश्वेश्वर के स्थान पर भौरी लाल दर्ज किया जाकर इनके हिस्से की संपूर्ण भूमि का इन्द्राज खातेदारी वादीगण के हक में

उप जिला कलक्टर
बामनवास (स० मा०)

किया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन किया जावे ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 12/4/2018 को जारी की गई । उप जिला कलक्टर बामनवास (स० मा०)

(रामकिशोर मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
बामनवास

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत	—	मेहनताना वकील	—
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	